तारांकित प्रश्न कमांक 446 (माननीय विधायक श्री सीतासरन शर्मा)

परिशिष्ट "अ"

दिनांक 11.6.13 को स्टेशन प्रबंधक कीरतगढ़ के लिखित मेमो सूचना पर मर्ग क्र 55/13 .धारा 174 सीआरपीसी कायम कर प्राथमिक जांच राम प्रताप दुबे द्वारा की गयी जांचकर्ता द्वारा शव पंचायत नामा कार्यवाही मे उपस्थित पंचान .1 कमल भारद्वाज 2.अमोल उपाध्याय .3 अनीस खान .4 अशोक .5 कमलेश गुप्ता के समक्ष की गयी है । कमलेश गुप्ता के द्वारा शिनाख्तगी कार्यवाही की गयी है । मृतक राम विलास का शव रेल्वे स्टेशन कीरतगढ़ के KM 26. 24/755 पर डाउन लूप लाइन मे पटरी के बीच पड़ा मिला था। जिसका भेजा निकला हुआ था। खून निकल रहा था। जीभ मूंह से बाहर दिख रही थी। आंखे बंद कान से खून निकला था। चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मृतक का दाहिना भुजा कट कर पटरी के बगल से सिर की तरफ पड़ा था। उँगलियो के ऊपर कलाई के पास चमड़ी निकली हुयी थी। गुप्तांग के दाहिने तरफ चोट का गहरा घाव दिखाई दे रहा था। घसीटने से पटरियो के काले निशान पेंट पर लगे थे । मृतक के बदन पर ट्रेन से आई चोटों के अलावा अन्य निशान नहीं पाये गये।

मर्ग जांच मे उक्त पंचानों के कथन लिए गये सभी ने मृतक की मौत किसी ट्रेन से टकरा जाने से आई चोटों के कारण होना बताए है ।

मृतक का भांजा जितेंद्र तिवारी पिता कैलाश तिवारी उम्र 22 साल निवासी हमपुरम कॉलोनी नौबस्ता जिला कानपुर (उ.प्र.) को जरिये टेलीफोन से सूचना देने पर अपने मौसेरे भाई संदीप तिवारी व सुनील कुमार तिवारी के उपस्थित आने पर जिन्होने मृतक के शव की पहचान अपने मामा राम विलास तिवारी निवासी उन्नाव (उ.प्र.) के रूप मे किए जिनके विस्तृत कथन लिए गये जिन्होने अपने कथनो मे बताया कि मामा रामविलास तिवारी 30–35 वर्ष से इटारसी मे कमल भारद्वाज के पास मुनीमगिरी करता था। जिन्हे कानो मे कम सुनाई देता था। जिन्होने मृतक की मौत मे कोई शंका जहिर नही की है।

मृतक रामविलास तिवारी का PM शासकीय अस्पताल इटारसी मे डॉ .विवेक दुबे द्वारा किया गया है। रिपोर्ट की क्यूरी रिपोर्ट मे मृतक की मौत एन्टीमार्टम इंजूरी से आई चोटों के कारण होना लेख किया गया है ।

मृतक की लाश पंचायतनामा कार्यवाही के दौरान आई साक्ष्य मे मृतक की मौत ट्रेन से टकराकर घसीटने से मृतक के पैंट मे काले दाग के निशान पाये गये है । यदि मृतक की मौत किसी डंफर के कुचलने से हुयी होती तो अवश्य ही पीलीमुरम (मिट्टी) के दाग मृतक के कपड़ो मे पाये जाते ।

मृतक की लाश पंचायतनामा कार्यवाही मे ट्रेन से टकराने से लगी गंभीर चोटों से भेजा पिचक जाना घसीटने से काले दाग आना और हाथ कटकर पटरी के किनारे पड़ा होना पाया गया है । यदि मृतक को किसी अन्यत्र या दूसरी जगह मार कर पटरी पर लाकर डाला जाता तो ट्रेन से जिस स्थिति मे डाला जाता केवल वही भाग कटता ।

मृतक रामविलास कमल भारद्वाज के खेत मे व मुरम खदान मे मुनीमगिरि के अलावा चौकीदारी भी करता था । कमल भारद्वाज के मकान नजरपुर मे रहता था। तथा वही से पगडंडी रास्ते से रेल्वे स्टेशन कीरतगढ़ के पास से लाइन क्रॉस करके आता जाता था । मृतक को कानो से कम सुनाई पड़ता था । संभवतः घटना दिनांक को मृतक पगडंडी के रास्ते से कीरतगढ़ स्टेशन के पास पटरी क्रॉस करते समय किसी ट्रेन से टकरा जाने से आई चोटों से मृत्यु होना पाया गया है । जबकि अज्ञात शिकायतकर्ता द्वारा डंफर से एक्सीडेंट कर मार कर पटरी पर डालना लेख किया है। जबकि खदान मे डंफर से टक्कर मारना कोई साक्ष्य अभी तक की जांच मे नही मिले है । परिवारजन के कथन लिए गये मृतक की मौत मे कोई शक व्यक्त नही किए है । सम्पूर्ण मर्ग जांच मे मृतक रामविलास तिवारी घटना दिनांक को पटरी क्रॉस करते हुये किसी ट्रेन से टकरा जाने से संभवतः मृत्यु होना पाया गया है ।

मामले मे मृतक राम विलास तिवारी के मालिक कमल भारद्वाज के पुर्नकथन लिए गए, जो अपने कथन मे मृतक द्वारा पूर्वजों के समय से कृषि फार्म एवं खदान की देखभाल के अलावा मुनीम गिरी करना तथा कानों से कम सुनाई देना बताया, तथा मृतक का ट्रेन एक्सीडेंट से मृत्यु होने पर नजरपुर गाँव के लोगों द्वारा सूचना देने पर पहुंचा था, मृतक रेल्वे पटरी के बीच पड़ा था, एक हाथ कटा व भेजा निकाला हुआ था एवं वहाँ बहुत खून निकलकर बहा था, तथा जब राम विलास तिवारी की घटना हुई थी उस समय खदान का काम बंद था शासन से स्टे

लगा हुआ था इस कारण खदान मे डंफर जाने का सवाल उत्पन्न नही होता राम विलास की मौत ट्रेन एक्सीडेंट से ही हुई है।

मामले मे संतोष गौर तथा अमोल उपाध्याय के कथन लिए गए। संतोष ने बताया की डंफर क्र० MP04 K 3874 के संबंध मे बताया की यह डंफर मैंने भोपाल से वर्ष 2009 मे खरीदा था और वर्ष 2010 मे अमोल उपाध्याय को बेच दिया था। घटना के संबंध मे कोई जानकारी नही होना बताया। अमोल ने अपने कथनों मे बताया कि डंफर क्र० MP04 K 3874 संतोष गौर से वर्ष 2010 मे खरीदा था। और कंडम हो जाने पर डंफर को मैंने कबाड़ मे वर्ष 2012 सितम्बर या अक्टूबर मे बेच दिया था। मृतक राम विलास तिवारी की घटना के समय डंफर था ही नही डंफर से मृतक को मारकर पटरी मे डालने की शिकायत सर्वथा झूठा व असत्य होना बताया।

मामले मे उप पुलिस अधीक्षक रेल इटारसी श्री अजय संगर द्वारा घटनास्थल पर जाकर मौके का निरीक्षण करने पर मृतक राम विलास तिवारी की मौत ट्रेन एक्सीडेंट से होने पर अपने अभिमत दिए है। मामले मे लिए गए पुनर्कथन एवं घटना स्थल का निरीक्षण व उप पुलिस अधीक्षक रेल इटारसी श्री अजय संगर द्वारा दिए गए अपने अभिमत तथा कमल भारद्वाज द्वारा प्रस्तुत खदान चालू करने की अनुमति के आदेश के मुताबिक खदान बंद होना व किसी डंफर का आना जाना नही पाया गया मृतक की मौत पटरी क्रास करते समय कानो से कम सुनाई देने के कारण किसी ट्रेन से टकरा जाने से होना पाया गया है। मर्ग सदर की सम्पूर्ण जांच मे कोई दस्तनदाजी अपराध का घटित होना नही पाया गया है।

पुलिस अधीक्षक रेल
भोपाल